भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2051

दिनांक 17.12.2013/ 26 अग्रहायण, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

बाड़ लगाए जाने से प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति

†2051. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर लगाए गए बाड़ में जिन किसानों की भूमि चली गई, उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया गया है;

(ख) क्या किसान और पंजाब राज्य सरकार और अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं क्योंकि किसानों को अब तक दी गई धनराशि बहुत ही कम है;

(ग) क्या सरकार ने फसलों की संख्या, फसलों के प्रकार और किसानों के अपने खेत में आने-जाने पर पाबंदियां लगाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

(क) : उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सरकार द्वारा भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने के लिए, जम्मू सेक्टर को छोड़कर, भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। जम्मू सेक्टर में, 179 किमी. लम्बे भू-भाग पर लगभग 44 फुट चौड़ी पट्टी अधिकृत की गई थी, जिसके लिए अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।

(ख) : बाड़ के लिए अधिकृत भूमि के संबंध में पंजाब सरकार से ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, पंजाब सरकार ने भारत सरकार से किसानों को फसलों पर प्रतिबंध और अन्तरराष्ट्रीय सीमा और सीमा पर लगी बाड़ के बीच अपने खेतों में जाने पर प्रतिबंध के कारण आय में होने वाली हानि के लिए वार्षिक क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) : पंजाब में, सुरक्षा कारणों और बाड़ के सामने स्पष्ट दृश्यता के लिए, राष्ट्र विरोधी तत्वों और पाक-रेंजरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए बाड़ के सामने गन्ना, कपास और सरसों आदि जैसी फसलों, जिनकी ऊंचाई 4 फुट से ज्यादा होती है, की खेती पर पांबंदी है।

जिन किसानों के खेत बाड़ के सामने हैं, उन्हें प्रतिदिन ग्रीष्म ऋतु में 07.00 बजे से 17.30 बजे तक और शीत ऋतु में 08.00 बजे से 16.30 बजे तक खेती करने की अनुमति दी गई है। तथापि, फसल काटने/बोने के दौरान बाड़ के गेट खोलने/बंद करने के लिए किसानों से परामर्श करने के पश्चात उन्हें उचित छूट प्रदान की जाती है।